ग्यारहवीं

राजस्थान विधान सभा

की

कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8]	18 मार्च, 2002	[संख्या : 1

अध्यक्ष

श्री परसराम मदेरणा

उपाध्यक्ष

श्री देवेन्द्र सिंह

सभापति-तालिका

श्री रामनारायण चौधरी

श्री हीरासिंह चौहान

श्री शिवनाथ सिंह

श्री दिग्विजय सिंह

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर

विषय–सूची

सोमवार, 18 मार्च, 2002

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8]   ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का पहला दिवस   [संख्या : 1

सोमवार;

18 मार्च, 2002

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 12.43 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव, विधान सभा।

श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री जसवन्त सिंह माली): महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय तथा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996.

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान राज्य अल्प संख्यक आयोग विधेयक, 2001

2. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2001.

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश/श्री हरेन्द्र मिर्धा। प्रभारी मंत्री।

अध्यादेश

राजस्थान सड़क विकास अध्यादेश, 2002

श्री हरेन्द्र मिर्धा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं राजस्थान सड़क विकास अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश संख्या-1) को सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002

श्री अध्यक्षः डाक्टर श्रीमती कमला ।

डा. (श्रीमती) कमला (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश संख्या-2) को सदन की मेज पर रखती हूं ।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री जी. एम. सी. बालयोगी, लोक सभा अध्यक्ष, सर्व श्री रूप लाल परमार, मंदन सिंह दांता, मोहम्मद गफ्फार अली, सागरमल, रावत मल पारीक, भोपाल सिंह, कस्तूर चन्द तथा संसद भवन पर हुए आंतककारी हमले में जवानों के निधन पर ।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति ।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए लोक सभा अध्यक्ष श्री जी. एम. सी. बालयोगी तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रूप लाल परमार, श्री मदन सिंह दांता, श्री मोहम्मद गफ्फार अली, श्री सागर मल, श्री रावत मल पारीक, श्री भोपाल सिंह एवं श्री कस्तूर चन्द तथा संसद भवन पर हुए आंतककारी हमले में मारे गये सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस के जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

लोक सभा अध्यक्ष श्री गन्ती मोहन चन्द्र बालयोगी का जन्म 1 अक्टूबर, 1951 को आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के येदुरलंका ग्राम में हुआ। आपने आन्ध्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त कीं ।

श्री बालयोगी वर्ष 1991 में दसवीं लोक सभा के लिए आन्ध्र प्रदेश के अमलापुरम निर्वाचन क्षेत्र से तेलुगूदेशम पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए । इसके पश्चात् आप आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1996 से 1998 तक आन्ध्र प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे । वर्ष 1998 में आप बारहवीं लोक सभा के सांसद निर्वाचित हुए और सर्वसम्मति से लोक सभा के अध्यक्ष चुने गये । वर्ष 1999 में आप वर्तमान तेरहवीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए और दूसरी बार लोक सभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए ।

आत्म चिन्तक, विनीत और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री बालयोगी लोक सभा अध्यक्ष के उच्च पद पर आसीन होने के बाद और भी विन्रम हो गये थे । आपने अपने निष्पक्ष और समतापूर्ण व्यवहार से सभी राजनीतिक दलों का सम्मान अर्जित किया । लोक सभा अध्यक्ष के रूप में आपने विषम परिस्थितियों में भी सदन की कार्यवाही का संचालन संजीदगी और दक्षता से किया ।

(श्री अध्यक्ष)

संसद की गरिमा को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध रहे श्री बालयोगी ने विधान मण्डलों के सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की । विधान मण्डलों में आचरण समिति को सक्रिय बनाने में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

आपने लोक सभा अध्यक्ष के गरिमामय पद पर आसीन रहते हुए वर्ष 1998 से 2001 तक भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल के नेता के रूप में विभिन्न देशों में आयोजित अन्तर संसदीय संघ सम्मेलनों तथा राष्ट्रमण्डल संसदीय सम्मेलनों में भाग लिया ।

वर्ष 1982 में राजनीति में पदार्पण करने वाले श्री बालयोगी प्रखर अधिवक्ता रहे । आप लगभग चार वर्ष तक पूर्व गोदावरी जिला प्रजा परिषद् के अध्यक्ष रहे ।

स्वभाव से सरल और मदुभाषी श्री बालयोगी की समाज सेवा में विशेष रूचि थी । आप गरीबों और ग्रामीण दलितों के उत्थान के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे ।

श्री जी. एम. सी. बालयोगी का 3 मार्च, 2002 को आन्ध्र प्रदेश में एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया । श्री बालयोगी के असामयिक निधन से न केवल आन्ध्र प्रदेश की बल्कि संसद और देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

पूर्व विधायक श्री रूपलाल परमार का जन्म 25 दिसम्बर, 1925 को उदयपुर जिले के महुवाड़ा ग्राम में हुआ । आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की ।

श्री परमार सातवीं विधान सभा (1980-85) में उदयपुर के खैरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे । आप पुनर्वास, खादी एवं ग्रामोद्योग, कारागार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे, आप ब्लाक कांग्रेस कमेटी, खैरवाड़ा के अध्यक्ष रहे । आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री परमार राजस्थान आदिवासी संघ, उदयपुर के अध्यक्ष भी रहे ।

श्री रूपलाल परमार का दिनांक 14 दिसम्बर, 2001 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री मदन सिंह दांता का जन्म 28 मार्च, 1920 को सीकर जिले के ग्राम विजयपुरा में हुआ । आप अपने अध्ययन काल के दौरान ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने चले गये थे ।

श्री मदन सिंह दांता दूसरी, चौथी और छठी राजस्थान विधान सभा के लिए सीकर जिले के दांतारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से क्रमश: राम राज्य परिषद्, जनसंघ तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए ।

(श्री अध्यक्ष)

आपने सवाई मान गार्ड्स में कैप्टन के रूप में सेवा की और 3 वर्ष तक युद्धों में भाग लिया । कैप्टन पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आपने राजनीति में प्रवेश किया। आपने भू-स्वामी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई । श्री दांता राम राज्य परिषद् के अध्यक्ष रहे आप राजस्थान में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे ।

श्री मदन सिंह दांता का दिनांक 23 दिसम्बर, 2001 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री मोहम्मद गफ्फार अली का जन्म वर्ष 1916 में जयपुर में हुआ । आपने बी. ए., एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त की ।

श्री गफ्फार अली पांचवीं राजस्थान विधान सभा (1972-77) में जयपुर जौहरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय साम्यवादी दल के विधायक रहे । आप वर्ष 1941 में भारतीय साम्यवादी दल में सम्मिलित हुये । नगर परिषद्, जयपुर के पूर्व सदस्य श्री गफ्फार अली जयपुर राज्य प्रजामण्डल के सदस्य भी रहे । आपने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई तथा ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' के दौरान जेल भी गये ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली का दिनांक 3 जनवरी, 2002 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री सागर मल का जन्म 5 जनवरी, 1926 को जयपुर जिले के ग्राम कंवरपुरा में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की ।

श्री सागर मल तीसरी राजस्थान विधान सभा (1962-67) के लिए फुलेरा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री सागर मल लगभग 4 वर्ष तक ग्राम पंचायत बधाल के सरपंच और एक वर्ष तक तहसील पंचायत, फुलेरा के सरपंच रहे । आप पंचायत समिति, साम्भर लेक एवं पंचायत समिति, फुलेरा के प्रधान भी रहे ।

आप कृषि कार्यों के विकास के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण विकास, सहकारिता, श्रमजीवी वर्ग के कल्याण तथा हरिजन उत्थान के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे ।

श्री सागर मल का दिनांक 19 फरवरी, 2002 को निधन हो गया ।

स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक श्री रावत मल पारीक का जन्म 12 जुलाई, 1913 को हुआ । आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की ।

श्री रावत मल पारीक द्वितीय राजस्थान विधान सभा के लिए अगस्त, 1960 में हुए उप चुनाव में नोखा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए । आप जुलाई, 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् की स्थापना के समय इसके प्रधान मंत्री चुने गये तथा ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' के दौरान 9 अगस्त, 1942 को गिरफ्तार किये गये ।

(श्री अध्यक्ष)

आप लम्बे समय तक बीकानेर, नगर परिषद् के अध्यक्ष रहे । बीकानेर राज्य के माल विभाग में सेवारत रहे श्री पारीक लेखन एवं पत्रकारिता में रूचि होने के कारण लगभग दस वर्ष तक पत्र सम्वाददाता भी रहे । अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे श्री पारीक की कृषि एवं पशुपालन में भी रूचि रही ।

श्री रावत मल पारीक का दिनांक 9 फरवरी, 2002 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री भोपाल सिंह का जन्म सम्वत् 1971 में मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को मेड़ता तहसील के ग्राम गोठड़ा में हुआ । आपने कक्षा नौ तक शिक्षा प्राप्त की ।

श्री भोपाल सिंह प्रथम राजस्थान विधान सभा (1952-57) में मेड़ता पूर्वी क्षेत्र से राम राज्य परिषद् के विधायक रहे । विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे । अठारह वर्ष की आयु में ही आपको कोर्ट आफ वार्डस का मैनेजर बनाया गया । अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे ।

श्री भोपाल सिंह का दिनांक 12 फरवरी, 2002 को निधन हो गया ।

पूर्व विधायक श्री कस्तूर चन्द का जन्म 1 अप्रैल, 1925 को भीलवाड़ा जिले के ग्राम, बनेड़ा में हुआ । आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की ।

आप प्रथम राजस्थान विधान सभा (1952-57) के लिए बनेड़ा-शाहपुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गये । आपने वर्ष 1942 के ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके फलस्वरूप आपको जेल भी जाना पड़ा ।

जन सेवा और सामाजिक उत्थान में रुचि रखने वाले श्री कस्तूर चन्द सेवा संघ, बनेड़ा के मंत्री भी रहे ।

श्री कस्तूर चन्द का दिनांक 4 फरवरी, 2002 को निधन हो गया ।

गत 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंककारी हमले का संसद के सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल एवं दिल्ली पुलिस के जवानों ने बड़ी वीरता और बहादुरी से मुकाबला किया और पांच आतंककारियों को मार गिराया । लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन की रक्षा करते हुये सुरक्षा सहायक श्री जगदीश प्रसाद यादव, श्री मातबर सिंह नेगी, सीमा सुरक्षा बल की कांस्टेबल श्रीमती कमलेश कुमारी, दिल्ली पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर श्री नानक चन्द एवं श्री रामपाल, हैड कांस्टेबल श्री ओमप्रकाश, श्री घनश्याम और श्री बिजेन्द्र सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान कर बहादुरी और कर्तव्य परायणता की मिसाल प्रस्तुत की है ! इस हमले में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का बागवान श्री देशराज भी मारा गया ।

(श्री अध्यक्ष)

मैं, इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों तथा अन्य दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): इतनी बड़ी घटना घटी है, अध्यक्ष महोदय, उनके लिए भी हमारी इस श्रद्धांजलि लिस्ट में आना चाहिए। सीमाओं पर कितने ही हमारे नौजवान रोज अभी मर रहे हैं देश की रक्षा करते हुए, पार्लियामेंट में जो हमारे पुलिस के कर्मी मारे गये, उनके साथ-साथ आज भी जो राजस्थान के नौजवान सीमाओं से आ रहे हैं, उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए इस सदन को। दूसरे, गुजरात में भी इतनी बड़ी घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट मौन खड़े रह जाते हैं, फिर उसके बाद में बात करना।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2002 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.01 बजे, मंगलवार; 19 मार्च, 2002 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट

दिनांक 18 मार्च, 2002 को राजस्थान विधान सभा के बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय श्री अंशुमान सिंह का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

1. ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है ।

2. पिछले सत्र और इस सत्र के बीच अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमा है । अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद ने अन्य देशों को ही नहीं बल्कि महाशक्तियों को भी प्रभावित किया है । भारत के प्रजातन्त्र के गौरव स्थल संसद भवन पर जो आतंकवादी हमला हुआ, वह इसी अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के निकृष्टतम परिणति थी । भारत को, पड़ौसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए, आन्तरिक एवं सीमा सुरक्षा हेतु अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर निरन्तर अतिरिक्त सैन्य व्यवस्था करनी पड़ रही है । राज्य के भू-भाग से लगी हुई 1000 किलोमीटर से भी अधिक लम्बी अन्तरर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हुए राजस्थान सरकार को भी सैन्य एवं नागरिक प्रशासन के बीच तालमेल कायम रखने के साथ-साथ सीमा पर बसे लोगों के मनोबल को बनाये रखने के उपाय भी करने पड़े हैं । राज्य सरकार के प्रयासों से जहां एक ओर देश की सीमा की रक्षा में जुटे जवानों के हौसले बुलन्द रहे वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मनोबल भी ऊंचा रहा । किन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि जिस समय सम्पूर्ण राष्ट्र आतंकवाद से जूझ रहा हो, वहीं दूसरी ओर साम्प्रदायिक शक्तियां धार्मिक उन्माद पैदा कर, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की घृणित कुचेष्टा कर रही है । पड़ौसी राज्य गुजरात की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं चौकसी के फलस्वरूप पूरे राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहा तथा कानून व्यवस्था की स्थिति भी पूरी तरह से काबू में रही । पारस्परिक सौहार्द और भाईचारे को बनाये रखना आज की प्राथमिक जरूरत है । राज्य सरकार जहां प्रशासनिक प्रबंध करने में पूरी तरह सतर्क है वहीं साम्प्रदायिक तत्वों से कड़ाई से निपटने को कृत संकल्प है ।

3. राजस्थान में गुजरात से आये दंगा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में शिविर लगा कर आवास, भोजन एवं चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था की गई तथा दंगों में मारे गये राजस्थान के व्यक्तियों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई ।

4. राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प को निभाने के लिए सूचना का अधिकार एवं विभागीय चार्टर की घोषणा की गई है । इनका उल्लंघन करने पर सम्भागीय आयुक्तों को कार्यवाही के अधिकार दिये गये हैं । भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य स्तरीय मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं 32 मुख्य सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त किया गया है । राज्य की 237 पंचायत समितियों में से प्रत्येक पंचायत समिति में उन ग्राम पंचायतों में जहां कि सार्वाधिक विकास कार्य स्वीकृत हुए थे, वहां भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का पता लगाने के लिए जन-सुनवाई आयोजित की गयी । इसी क्रम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निवासियों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा दो बड़े अभियान चलाये गये हैं । 2 अक्टूबर, 2001 से 10 जनवरी 2002 तक चले ''प्रशासन गांव के संग'' अभियान से 66 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया । इसी प्रकार 26 जनवरी से 28 फरवरी, 2002 तक चले ''प्रशासन शहरों के संग'' अभियान में नगरीय क्षत्रों के करीब 12 लोगों को राहत पहुंचाई गई ।

5. राज्य सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष अकाल का सूझबूझ से सामना करते हुए प्रभावित लोगों को जहां राहत पहुंचाई वहां स्थाई परिसम्पत्तियां सृजित कर अकाल को विकास में बदलने का सफल प्रयास किया । अकाल राहत कार्यों का भुगतान अच्छी दर पर तथा समय पर किया गया एवं राहत कार्यों में भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण किया गया ।

6. राज्य के व्यापक एवं त्वरित विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत ढांचागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है । इस अवधारणा के अन्तर्गत ऊर्जा, जल-प्रबन्धन, सड़क निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों को चिन्हित कर इनसे संबंधित योजनाओं के समयबद्ध प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन एवं टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।

7. राज्य की खुशहाली और प्रगति में विद्युत की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विद्युत सुधार कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू किया जिससे विद्युत तंत्र के सुधार और विस्तार के लिये किये गये योजनाबद्ध प्रयासों के परिणाम अब परिलक्षित होने लगे हैं । राज्य सरकार द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति के फलस्वरूप सूरतगढ, तापीय विद्यत परियोजना के द्वितीय चरण की 250 मेगावाट की तीसरी इकाई को लक्ष्य से 5 माह पूर्व स्थापित कर अक्टूबर, 2001 से उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है ।

चतुर्थ इकाई से मार्च, 2002 के अंत तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने की सम्भावना है ।

8. वर्ष 1994-95 से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिलने के फलस्वरूप कोटा, तापीय विद्युत गृह के चतुर्थ चरण की छठी इकाई की स्थापना का कार्य रुका हुआ था । राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप इस परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जून, 2001 में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर राज्य सरकार ने कोटा, तापीय विद्युत गृह चतुर्थ चरण की 195 मेगावाट की छठी इकाई को 635 करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित करने का निर्णय लिया जाकर जुलाई, 2001 से कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है । इस परियोजना से लगभग 25 महीने की अल्पावधि में अगस्त, 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है, जो अब तक स्थापित तापीय विद्युत गृहों की स्थापना अवधि में सबसे कम अवधि होगी । इस इकाई की स्थापना के बाद कोटा तापीय विद्युत गृह राज्य का दूसरा सुपर तापीय विद्युत गृह बन जायेगा ।

9. वर्ष 1996 से लम्बित बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित परियोजना को राज्य सरकार द्वारा पुनः नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को क्रियान्वयन हेतु सौंपने का निर्णय लिया गया है । भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से 21 नवम्बर, 2001 को स्वीकृति प्राप्त हो गयी है । नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एम.ओ.यू. पर विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे इस परियोजना के स्थापित होने का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होगा ।

10. राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत की छीजत को कम करने के उद्देश्य से प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्रिड सब-स्टोशनों की स्थापना का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया है । राज्य में अभी तक एक मात्र 400 के. वी. का ग्रिड सब-स्टेशन हीरापुरा में कार्यरत था । चालू वर्ष 2001-2002 में सूरतगढ़ में अक्टूबर, 2001 व रतनगढ़ में दिसम्बर, 2001 में 400-400 के. वी. के ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किए जाने से दिसम्बर, 2001 तक इनकी संख्या 3 हो गई है । इसी प्रकार चालू वर्ष 2001-02 में जनवरी, 2002 तक 132 के. वी. के 10 ग्रिड सब-स्टेशन तथा 33 के. वी. के 84 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित किये जा चुके हैं ।

11. राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य क्षेत्र में आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा अगस्त, 2001 में 4.90 मेगावाट एवं निजी क्षेत्र में 2.10 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा आधारित परियोजना मैसर्स सूजलोन एनर्जी लिमिटेड द्वारा अक्टूबर, 2001 में स्थापित की जाकर विद्युत

उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है । नवनिर्मित विधान सभा भवन एवं सचिवालय भवन पर 25-25 किलोवाट क्षमता के सोलर ग्रिड पावर प्लान्ट स्थापित किये जाकर सितम्बर, 2001 से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है ।

12. वर्ष 2001-02 में राज्य के 22 ऐसे गांव जहां परम्परागत स्रोतों से उत्पादित विद्युत पहुंचाना काफी कठिन कार्य है उन गांवों में 22 स्टेण्ड एलोन पावर प्रोजेक्ट (सोलर आधारित) स्थापित कर विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 10.80 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को स्वीकृत की गई है ।

13. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तत्वावधान में अत्यधिक फ्लोराइड व खारे पानी से प्रभावित 2983 ग्राम व ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 533.35 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं । योजनान्तर्गत अब तक 675 ग्राम और ढाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

14. राज्य सरकार द्वारा पेयजल समस्या के समाधान हेतु पारम्परिक जल स्रोतों के पुनरोद्धार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत अब तक 19 हजार 14 कुएं और बावड़ियों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं. जिनमें से 13 हजार 87 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

15. राज्य सरकार द्वारा चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत हैण्ड पम्पों की मरम्मत तथा पेयजल से सम्बन्धित लगभग 34 हजार 315 शिकायतों का निपटारा किया गया ।

16. भीलवाड़ा व सलूम्बर कस्बे में पेयजल समस्या के समाधान के लिये क्रमश: 29.13 करोड़ व 5.53 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

17. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल सुलभ कराने के लिये प्रदेश में लगभग एक हजार 417 हैण्ड पम्प लगाने के लक्ष्य के तहत माह जनवरी, 2002 तक 820 हैण्ड पम्प खोदे जा चुके हैं । इनमें से 513 हैण्ड पम्पों को चालू कर दिया है ।

18. लगातार सूखे व अकाल की स्थिति को देखते हुये गत वर्ष गर्मियों में पेयजल व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कंटींजेंसी प्लान बनाया गया जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 5235 हैण्ड पम्पों का निर्माण कर ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध करवाया गया । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 703 नलकूपों का निर्माण कर पेयजल सुलभ कराया गया । शहरी क्षेत्र में 168 हैण्ड पम्प व 184 नलकूपों का निर्माण किया गया ।

19. राज्य के भू-जल संसाधनों के विकास के अंतर्गत इस वर्ष माह जनवरी, 2002 तक 640 नलकूप, हैण्ड पम्प एवं पीजोमीटर का निर्माण कराया गया ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के 2098 कुओं को गहरा किया गया । वर्षा से कृत्रिम भू-जल पुनर्भरण हेतु जयपुर शहर के विद्युत भवन में एवं उदयपुर शहर के कालेज आफ टेक्नोलोजी भवन में स्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है ।

20. राज्य में उपलब्ध आन्तरिक एवं बाह्य जल संसाधनों का त्वरित गति से उपयोग करते हुए सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने तथा नई परियोजनाएं बनाने का प्रभावी कार्य किया जाता है । वर्ष 2001-02 में 45 हजार 632 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है ।

21. विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर अधूरी सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूर्ण किये जाने की दृष्टि से पांचना, छापी, चौली मध्यम सिंचाई परियोजना तथा माही बहुउद्देश्यीय परियोजना हेतु केन्द्रीय सरकार की त्वरित सिंचाई लाभ योजना के अन्तर्गत 27 हजार 154 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने हेतु कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त नाबार्ड पोषित बैंथली मध्यम सिंचाई परियोजना, घग्घर बाढ़ नियंत्रण परियोजना एवं रतनपुरा वितरिका का कार्य प्रगति पर है ।

22. अन्तरराज्यीय समझौते के अन्तर्गत नर्मदा नदी के जल में से राजस्थान को आबंटित 5 लाख एकड़ फीट जल के उपयोग हेतु जालौर एवं बाड़मेर जिले की 2.51 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु रुपये 1400 करोड़ लागत की नर्मदा नहर वृहद् परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि वर्ष 2004 में सरदार सरोवर बांध से राजस्थान को सिंचाई एवं पेयजल हेतु जल मिलना प्रारम्भ हो सके ।

23. वर्ष 1927 में निर्मित गंग नहर की 450 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण परियोजना को अगले 4 वर्षों में पूर्ण किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है । लिंक चैनल चालू कर पंजाब में गंग नहर आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

24. वर्तमान में 104 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं । इन लघु सिंचाई परियोजना से 43 हजार 646 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा । नाबार्ड के आर. आई. डी. एफ. के सातवें चरण में 97 लघु सिंचाई परियोजताएं एवं 2 लिफ्ट स्कीम के कार्य शुरू करने हेतु 192 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्राप्त करने के प्रस्तावों की स्वीकृति भी अन्तिम चरण में है । इन सिंचाई परियोजनाओं से 40 हजार 366 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढने के लक्ष्य हैं । तीन मध्यम सिंचाई

परियोजनाओं के प्रस्ताव जिनकी अनुमानित लागत 132 करोड़ रुपये एवं अतिरिक्त सिंचाई क्षमता 20 हजार 377 हैक्टेयर होगी के प्रस्ताव भी नाबार्ड आर. आई. डी. एफ. के सातवें चरण में ऋण प्राप्ति हेतु प्रेषित किये गये हैं।

25. यूरोपियन आर्थिक समुदाय सहायता पोषित सिद्धमुख नोहर वृहद् सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया है। इस परियोजना से 94 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

26. बीसलपुर परियोजना हेतु नाबार्ड ने प्रथम चरण में 311 मीटर स्तर तक जल भरने हेतु 106 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। अब जनवरी, 2002 में 109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया है जिससे जलाशय के पूर्ण स्तर 315.50 मीटर तक डूब का मुआवजा भुगतान हो सकेगा तथा जल भी संग्रहित किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप वर्तमान में इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में 10 हजार 700 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है तथा द्वितीय चरण में 70 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकेगी।

27. दिनांक 21-12-2001 को दिल्ली में हुई अपर यमुना बोर्ड की बैठक में लिये गये एक महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत यमुना जल में राजस्थान को वर्षाकाल में 3188 क्यूसेक जल उपलब्ध करवाना निर्धारित कर दिया गया है। यह राज्य के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है जिससे भरतपुर, झुन्झुनूं एवं चूरू जिलों में लगभग एक लाख 80 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की जा सकेगी।

28. मध्य प्रदेश के साथ किये गये निर्णय के अन्तर्गत राज्य ने चम्बल जल का मास्टर प्लान बनाना प्रारम्भ किया है जिसके अन्तर्गत 350 करोड़ रुपये लागत की 9 मध्यम परियोजनाओं के तखमीने तैयार किये जा चुके हैं। इनसे दसवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 56 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकेगा। चम्बल बेसिन में तैयार किये गये मास्टर प्लान में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग हेतु 4 वृहद, 13 मध्यम, 346 लघु सिंचाई परियोजनाओं का चिन्हीकरण किया गया है। इन परियोजनाओं द्वारा 2.4 एम. ए. एफ. जल के उपयोग से 5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि सिंचित की जा सकेगी।

29. माही बांध में अतिरिक्त जल संग्रहण बाबत भी मध्य प्रदेश से समझौता किया गया।

30. सिंचाई विभाग के पुरजोर प्रयासों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जल संसाधन नीति में अन्तरराज्यीय नदियों से जल आबंटन हेतु दिशा-निर्देश में बेसिन से बाहर स्थित जल की कमी वाले राज्यों की आवश्यकता की भी पूर्ति करने का एक ऐतिहासिक निर्णय कराया गया।

31. राज्य में 1970 से पूर्व बनी अनेक सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति खराब होने के कारण उपलब्ध जल का भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है तथा अन्तिम छोर के कृषकों को पानी नहीं मिल पाता। अत: ऐसी परियोजनाओं के पुनरोद्धार हेतु तथा सिंचाई परियोजनाओं में उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग हेतु विश्व बैंक द्वारा पोषित ''राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना'' तैयार की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित 91 नहर प्रणालियों एवं 16 बांधों पर जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 733.56 करोड़ रुपये है तथा इसका कार्य जुलाई, 2002 में आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है तथा विश्व बैंक द्वारा भी अनुमोदन किया जा चुका है।

32. विभाग द्वारा राज्य में सतही जल के भरपूर संग्रहण एवं संरक्षण तथा भूजल के पुनर्भरण के उद्देश्य से नाबार्ड सहायता अन्तर्गत कुल 676 वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर (एनीकट) वर्ष 2000-01 में स्वीकृत हुए जिनमें से 600 स्ट्रक्चर पूरे किये जा चुके हैं तथा शेष मार्च, 2002 तक पूर्ण हो जायेंगे। इसके साथ ही अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 773 एनीकट और बनाये गये हैं।

33. राज्य में परम्परागत जल स्रोतों के सुधार एवं संधारण हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की सहायता से अकाल राहत कार्यों से सम्बद्ध करते हुए विभाग द्वारा 3388 पारम्परिक जल स्रोतों (गांवाई तालाब) के सुधार के कार्य पूर्ण किये गये हैं।

34. राज्य की जल नीति एवं जल संसाधन योजना के घोषित होने के बाद इसके सन्दर्भ में एक कार्य योजना बनाकर त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वित के लिये तथा राज्य में उपलब्ध समस्त सतही, भूजल एवं बाह्य जल संसाधनों के समग्र एवं समन्वित विकास, संग्रहण एवं संघनन आदि योजनाओं को, कुशल जल प्रबन्धन एवं कृषकों की सहभागिता से, निष्पादित करने हेतु जुलाई, 2001 में ''राजीव गांधी जल प्रबन्धन मिशन'' की स्थापना की गई है।

35. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण का सिंचाई क्षेत्र 5.53 लाख हैक्टयेर है। द्वितीय चरण में नहर की शाखाओं; वितरिकाओं व कुलपिकाओं का निर्माण कार्य करके मार्च, 2001 तक 7.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई हेतु खोल दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में द्वितीय चरण में 110 करोड़ रुपये व्यय कर 95 किलोमीटर लम्बाई में नहरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के पूरा होने पर 22हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुलभ होगी।

36. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई हेतु खोले गये क्षेत्र में खालों का निर्माण करवाया जाकर सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक है । अब तक 10.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खाला निर्माण करवाया जा चुका है । इस वर्ष भी 39000 हैक्टेयर खालों के निर्माण का लक्ष्य है । जनवरी, 2002 तक 37572 हैक्टेयर में खाले निर्माण कराये जा चुके हैं ।

37. चम्बल परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में 2500 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 2002 तक 2284 हैक्टेयर में ओ.एफ.डी. कार्य करवाये जा चुके हैं ।

38. बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 6516.92 लाख रुपये लागत की 26 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है । इससे 163038 हैक्टेयर बंजर भूमि क्षेत्र में विकास कार्य हो सकेंगे ।

39. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं चम्बल परियोजना में काश्तकारों द्वारा निर्मित कराये गये खालें की कीमत माफ करने के राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में कृषकों को दिये गये ऋणों के विरुद्ध अब तक 90.08 करोड़ रुपये का भुगतान राजस्थान भूमि विकास निगम के मार्फत संबंधित बैंकों को किया जा चुका है तथा 18.32 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में भी रखा गया है ।

40. प्रति हैक्टेयर खाला निर्माण की लागत 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार प्रति हैक्टेयर करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये है, जो अब योजना आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं ।

41. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में अब खाले को आखरी मुरब्बे तक पक्का करने का निर्णय भी लिया जा चुका है ।

42. राज्य सरकार ने गांधी जयन्ती 2 अक्टूबर, 2001 से 10 जनवरी, 2002 तक प्रशासन गांव के संग अभियान चलाकर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों एवं किसानों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया । जन समस्या निराकरण एवं विकास की दिशा में यह बड़े पैमाने का एक अनूठा कार्य था । अभियान के दौरान राजस्व विभाग से सम्बन्धित 44 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया ।

43. राज्य की सभी 241 तहसीलों के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है । इसके लिए शत प्रतिशत अंशदान स्वीकृत है । 200 तहसीलों के डेटा एन्ट्री का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । 109 तहसीलों में कम्प्यूटर से राजस्व जमाबंदियों की नकलें संबंधित की मांग पर दिया जाना प्रारम्भ किया जा चुका है । वर्ष 2002 तक प्रदेश के समस्त भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जायेगा ।

44. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को स्कूल भवन, छात्रावास एवं सार्वजनिक उपयोग के भवन हेतु निर्धारित सीमा तक भूमि निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है ।

45. 8 मरुस्थलीय जिलों में एक हैक्टेयर से अधिक भूखण्डों पर 1976 से आबंटन पर लगी रोक को कतिपय शर्तों के अधीन हटाने का निर्णय लिया गया जिससे लाखों लोग लाभान्वित होंगे ।

46. राजस्थान अभिधृति (काश्तकारी) अधिनियम, 1955 को पूर्णरूप से समीक्षा कर इसे पुनः तैयार किया गया है, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के स्थान पर तैयार किये जा रहे राजस्थान भू-राजस्व विधेयक के प्रारूप पर मंत्रिमण्डल समिति की बैठकों में समीक्षा चल रही है जिसे भी शीघ्र ही मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावेगी ।

47. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु खातेदार अपनी खातेदारी की भूमि में एक हजार वर्ग मीटर तक भूमि पर बिना रूपान्तरण कराये लघु उद्योग स्थापित कर सकेगा ।

48. अजमेर जिले की भू-अभिलेख संशोधन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेकर समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश जारी किये व नियमों में संशोधन किया गया है ।

49. राजकीय सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण प्रकरणों में नियमितीकरण की दिनांक को 15-7-1984 से 15-7-1994 किया गया ।

50. गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने में आ रही अड़चने दूर करने हेतु निर्देश जारी किये गये, भूमि आबंटन के प्रथम/द्वितीय वर्ष में काश्त न करने पर भी खातेदारी देने हेतु नियमों में संशोधन किया गया है ।

51. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी में 14-2-2000 को राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 जारी कर वर्तमान प्रावधान 'आवासीय या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये' के स्थान पर अभिव्यक्ति आवासन, वाणिज्यिक, संस्थागत, अर्द्धवाणिज्यिक, औद्योगिक सिनेमा या पैट्रोल के प्रयोजनों के लिये या मल्टीप्लेक्स इकाइयों, अवसंरचना परियोजनाओं या पर्यटन परियोजनाओं के प्रयोजन के लिये या ऐसी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये या लोकोपयोगी प्रयोजनों के लिये जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जावें प्रतिस्थापित की गई है तथा यह प्रावधान नगरीय क्षेत्रों की नगर योग्य सीमाओं या उपांत पट्टी (पेराफेरी बेल्ट) में लागू करने का प्रावधान कियां गया है ।

52. अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेन्टर और नर्सिंग होम आदि में निजी विनियोजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य

से ग्रामीण क्षेत्रों में 10000 वर्ग मीटर तक भूमि कृषि भूमि की बाजार दर का 25 प्रतिशत तथा 10000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि कृषि भूमि की बाजार दर का 50 प्रतिशत लेकर आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया, अगर कोई संस्था नि:शक्तजनों के शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के लिये भूमि आबंटन करना चाहती है तो उससे प्रीमियम के रूप में इन नियमों के अन्तर्गत देय कीमत का 25 प्रतिशत लिया जावेगा । यहां देय कीमत का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की बाजार दर का 50 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की बाजार दर का 50 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में बाजार दर का 75 प्रतिशत से हैं ।

53. राज्य सरकार ने नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने वाली चिकित्सा संस्थाओं, वृद्धाश्रम स्थापित करने, सार्वजनिक प्याऊ, शौचालय, मूत्रालय निर्माण व रख-रखाव करने मूक बधिर व नि:शक्तजनों के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने, पेंशनरों के लिये विश्रामघर, रैन बसेरे व प्रेस क्लब स्थापित करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को 1000 वर्ग गज तक भूमि नि:शुल्क आबंटन करने का निर्णय लिया है ।

54. राज्य सरकार ने 238 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया है जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों को विकास सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी ।

55. राजस्थान उपनिवेशन (गंग कैनाल क्षेत्र में स्थाई आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन कर अस्थाई काश्तकारों एवं उनके बालिग पुत्रों/पुत्रियों को सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है ।

56. राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन कर अस्थाई काश्तकारों को पुख्ता आबंटन के प्रावधान किये गये हैं ।

57. राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना में राजकीय भूमि का आबंटन) नियम, 1968 में संशोधन कर दिनांक 1-1-1995 तक के अनधिकृत कब्जों के नियमन का प्रावधान किया गया ।

58. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सेमग्रस्त एवं संवेदनशील क्षेत्र को आरक्षित रखने तथा वहां बसे लगभग 3566 काश्तकारों को बदले में अन्यत्र भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया तथा जिला जैसलमेर क्षेत्र की 10000 हैक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है ।

59. तहसील सूरतगढ़ के रायसिखों एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के कब्जे की 874.08 बीघा भूमि डी-नोटीफाइड कर कब्जे धारियों का नियमन/आबंटन करने का निर्णय लिया गया है ।

60. अकाल की स्थिति एवं नहरों में पानी की कमी को देखते हुए इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के किसानों एवं जन-प्रतिनिधियों की मांग पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों की देय किस्तों को बिना ब्याज देने हेतु 30-6-2002 तक अवधि बढ़ाई गई तथा किस्तों की संख्या 1+5 के स्थान पर 1+8 की गई। इसके अलावा सामान्य आबंटियों के लिए बकाया किस्तों की आदायगी 31-3-2002 तक स्थगित की गई। बकाया किस्तों पर इस अवधि में ब्याज नहीं लिया जायेगा। इससे किसानों का विशेष आबंटन में 20 करोड़ एवं सामान्य आबंटन में 7 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होगा।

61. राज्य उच्च मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने व नवीनीकरण किये जाने का कार्य केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस निधि के अन्तर्गत 96 कार्यों का आबंटन किया गया है जिनका कार्य प्रगति पर है।

62. राज्य में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए नाबार्ड ऋण, राज्य कृषि विपणन बोर्ड व विभाग की योजना निधि से इस वर्ष सड़क उन्नयन योजना को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों में 600 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 24 हजार किमी. सड़कों का सुधार किया जाना है।

63. निजी निवेश पर आधारित बी. ओ.टी. योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अब तक 54.76 करोड़ रुपये लागत की 7 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। 48.73 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है आगामी दो वर्षों में इस योजनान्तर्गत लगभग 450 करोड़ रुपये का निजी निवेश करवाये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु योजनाओं का चिह्नीकरण कर लिया गया है। इसके लिये तखमीने एवं प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में 17.37 करोड़ रुपये लागत की 3 परियोजनाओं की निविदाएं मंजूर कर ली गई है।

64. पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान शुरू से ही अग्रणी राज्य रहा है। राज्य में पर्यटन विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा योजनाबद्ध, समयबद्ध विकास एवं पर्यटन को जन उद्योग बनाने के लिए 5 जुलाई, 2001 को राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना की गई।

65. राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध समृद्ध पर्यटक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्यटन विकास हेतु पर्यटन नीति की घोषणा दिनांक 24 सितम्बर, 2001 को की गई। इस नीति के अन्तर्गत विनिवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने संबंधी आदेश दिनांक 13 नवम्बर, 2001 को जारी किये गये हैं।

66. राज्य के 36 विद्यालयों का सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी हेतु चयन किया गया है, जिससे यहां के विद्यार्थी राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति का अध्ययन कर ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकें । राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां इस प्रकार की नई योजना का शुभारम्भ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए सांस्कृतिक धरोहर सेवावाहिनी के लिए 13 जिलों में 36 प्रमुख विद्यालयों को 9 .00 लाख रुपये का बजट आबंटित किया गया ।

67. राज्य के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पर्यटन उत्पादों के विपणन हेतु विश्व पर्यटन मेला लन्दन में राजस्थान पर्यटन द्वारा भाग लिया गया तथा अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार बर्लिन में भी भाग लिया गया । स्वदेशी पर्यटन को विशेष बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष पर्यटन विभाग द्वारा देश के दक्षिण भाग में कोयम्बटूर व चेन्नई में राजस्थान कालिंग "सांस्कृतिक, हैण्डीक्राफ्ट एवं फूड फैस्टीवल" का सफल आयोजन किया गया ।

68. पर्यटन स्थलों के विकास एवं संरक्षण हेतु अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सामग्री मद में 35.42 लाख रुपये जिलों को उपलब्ध कराये गये तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य हिस्सा राशि से पर्यटक स्थलों के विकास एवं संरक्षण विस्तार के कार्य हेतु 37.30 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ।

69. पर्यटक सूचना केन्द्र भवन बांसवाड़ा का दिनांक 13-12-2001 को शुभारम्भ किया गया एवं चैन्नई में तमिलनाडु पर्यटन भवन में राजस्थान पर्यटन के नए कार्यालय का शुभारम्भ किया गया ।

70. राज्य में आने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को लपकों एवं असामाजिक तत्वों से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई पर्यटक सहायता बल (ट्यूरिष्ट पुलिस) योजना को चालू वर्ष में उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर एवं माउण्ट आबू में भी लागू किया जा रहा है तथा इस हेतु 9.75 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ।

71. मई 2000 में कराये गये शिक्षा दर्पण शैक्षिक सर्वे के अनुसार राज्य में 6 से 14 आयु वर्ग के लगभग 23 लाख बालक बालिकाएं विद्यालय से बाहर (Out of school) थे इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 18 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 5 लाख बालक बालिकाएं थी । पिछले 2 वर्षों में चलाये गये नामांकन अभियानों एवं राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के नवाचार के कारण हाल ही में आदिनांक कराये गये शिक्षा दर्पण सर्वे के अनुसार अब लगभग 11.00 लाख बच्चे ही विद्यालयों से बाहर बचे हैं। विद्यालय से बाहर बचे सभी बालक/

बालिकाओं को 2003 तक नामांकन कराने के लक्ष्य से राज्य सरकार ने 19 नवम्बर, 2001 से ''शिक्षा आपके द्वार'' नामक एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया है ।

72. वर्ष 2001-2002 में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5946 एवं शहरी क्षेत्रों में 369 नवीन राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली गई है, इन्हें सम्मिलित करते हुये अब राज्य में 18173 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं संचालित हो रही हैं । जिनमें लगभग सात लाख बालक/बालिकाएं पढ़ रहे हैं । इसके अतिरिक्त 70 से अधिक नामांकन वाली 1488 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में एक-एक अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी लगाया गया है इस प्रकार राज्य में अब तक 19661 शिक्षा सहयोगी को नियुक्त किया गया है ।

73. राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षा सहयोगी लगाने के निर्णय के क्रम में अब तक 7121 महिला शिक्षा सहयोगियों को लगाया जा चुका है ।

74. इस वर्ष राज्य में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के समकक्ष 500 मदरसों के लिये 72.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है ।

75. कारगिल एवं कारगिल के पश्चात् सैन्य अभियानों में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अब तक 57 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, 31 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 98 माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है ।

76. सूचना एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित है, में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 एवं 12 में चालू सत्र 2001-2002 में कम्प्यूटर विज्ञान विषय अनिवार्य किया गया है तथा कला संकाय में ऐच्छिक विषय के रूप में लागू किया गया है । इसके अलावा इन विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा ऐच्छिक रूप में लागू की गई है ।

77. वर्ष 2001-2002 के शैक्षणिक सत्र में गैर राजकीय क्षेत्र के लगभग एक हजार विद्यालयों के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया जो एक रिकार्ड है ।

78. इस वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना तकनीक की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कला संकाय की प्रथम भाग की कक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में शुरू की गई है। इसके फलस्वरूप अब कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है ।

79. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ग को प्रवेश में 21 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है । यह लाभ नये शैक्षणिक सत्र से मिलेगा ।

80. राज्य सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए अनेक कदम उठाये हैं । इस हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया जिसके फलस्वरूप वर्ष 2001-2002 में तीन नये निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित हुए । वर्तमान में राज्य में कुल 24 अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत है जिनकी प्रवेश क्षमता 5 हजार 567 है । कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एवं इन्फोरमेशन टेक्नोलाजी पाठ्यक्रमों में गत वर्ष की तुलना में 927 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है । वर्तमान में इन पाठ्यक्रमों में 2400 स्थान प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं ।

81. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2001-2002 में आठ नये एम. सी. ए. संस्थान निजी क्षेत्र में स्थापित हुए इसी भांति डिग्री स्तर के तीन नये निजी फार्मेसी संस्थान इस वर्ष स्थापित हुए हैं ।

82. संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में राज्य अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को मूर्तरूप दिया जा चुका है । इसके लिए वर्ष 2001-2002 में 40 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया । विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2002 की शास्त्री प्रथम वर्ष से आचार्य स्तर की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर के नक्शे तैयार हो चुके हैं तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा । आगामी शिक्षा सत्र से विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है ।

83. राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास के तहत एक अगस्त से 7 अगस्त, 2001 तक संस्कृत सप्ताह समारोह का आयोजन कर विविध शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये । इसी भांति 4 अगस्त, 2001 को राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन कर संस्कृत विद्वानों एवं विभिन्न परीक्षाओं में प्रथम व द्वितीय आने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया ।

84. राज्य में ''मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष'' योजना के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों एवं असहाय लोगों के असाध्य रोगों की जांच एवं उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है । इस योजना के तहत अब तक 16.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है । योजनान्तर्गत अब तक 897 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है ।

85. गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को नि:शुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने में राजस्थान देश में अग्रणी है । इस योजना के तहत 23 लाख 10 हजार चयनित परिवारों के सदस्यों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड वितरित किये गये हैं । अब तक 11 लाख 91 हजार व्यक्तियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपये की नि:शुल्क दवाइयां वितरित की गई हैं ।

86. संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम को सभी 32 जिलों में लागू किया गया है । इस हेतु भारत सरकार से 85 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये । कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 66 हजार 328 रोगियों का उपचार किया गया ।

87. आदिवासी बाहुल्य एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को 8000/-रुपये प्रतिमाह के अनुबन्ध पर डाक्टर रखने हेतु अधिकारी दिये गये हैं ।

88. राज्य को पोलियो के रोग से मुक्त करने के लिए वर्ष 2001-2002 में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को दो विशेष राउण्ड क्रमश: 2 दिसम्बर, 2001 एवं 20 जनवरी, 2002 को चलाकर पोलियो की दवा पिलाई गई । यह हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि राज्य में जनवरी, 2000 से जंगली पोलियो वायरस से प्रभावित एक भी पोलियो का रोगी नहीं पाया गया ।

89. जनसंख्या नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना जुलाई, 2001 में की गई है । छोटे परिवार की अवधारणा को जन आन्दोलन का रूप देने एवं इस संबंध में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से एक सितम्बर से 15 सितम्बर, 2001 तक पूरे प्रदेश में जनसंख्या पखवाड़े का सफल आयोजन किया गया ।

90. राज्य में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चत की जा रही है । राज्य सरकार की मान्यता है कि विश्वविद्यालय का ढांचा इस तरह खड़ा किया जाना चाहिये कि पांच वर्ष बाद वह अपने साधनों के बल पर खड़ा हो सके । अगले वर्ष से विश्वविद्यालय सृजित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

91. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से 200 आयुर्वेद, 7 होमियोपैथी एवं 7 यूनानी चिकित्सकों के चयन के लिए प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाये हुये हैं जिनकी चयन प्रक्रिया चल रही है । इसी प्रकार 75 आयुर्वेद चिकित्सकों को 6 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित राशि पर चयन कर इनकी पदस्थापना की गई है ।

92. राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन किया है । जो शीघ्र ही भारत सरकार के सहयोग से आयुर्वेदिक वनोषधियों के कृषिकरण, उत्पादन एवं विपणन के सम्बन्ध में कार्य करेगा ।

93. अजमेर एवं भरतपुर रसायन शालाओं के लिए प्रथम किस्त के 75-75 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इनके आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है । अजमेर में दवा परीक्षण प्रयोग शाला की स्थापना के लिए 100 लाख रुपये भारत सरकार से स्वीकृत हुए हैं । अभी 80 लाख रुपये की स्वीकृति आ चुकी है । कार्य प्रगति पर चल रहा है ।

94. माननीय अयुर्वेद मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयुर्वेद औषध निर्माण संस्थान का पंजीकरण करवाया जा चुका है । यह संस्थान निगम के रूप में औषध निर्माण करके विभागीय दवाखानों को दवायें सुलभ करवायेगा तथा अपने उत्पादों को बाजार में भी उपलब्ध कराकर जनता को सस्ती, निरापद एवं विश्वसनीय दवाइयां उपलब्ध करायेगा ।

95. राज्य सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये कटिबद्ध है । राज्य सरकार ने 27 करोड़ रुपये की राज्य गांरटी को बढ़ाकर 57 करोड़ रुपये की है ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प संख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मी एवं निशक्त सभी योग्य परिवार आसान शर्तों पर अधिकाधिक ऋण सुविधा प्राप्त कर सके ।

96. राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन किया है ।

97. इस वर्ष साढ़े आठ लाख असाहय/ निराश्रित वृद्धों, विधवाओं एवं नि:शक्तों को पेंशन सुविधा से लाभान्वित किया गया है ।

98. समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु जर्मन सरकार के सहयोग से दस आवासीय विद्यालयों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है । इनमें से चार विद्यालयों का निर्माण इस वर्ष पूर्ण कर अगले वित्तीय वर्ष से अध्ययन कार्य शुरू किया जायेगा । अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लगभग 5000 और छात्रों को विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

99. पोलियो करेक्शन आपरेशन हेतु उपकरण, दवाइयां आदि क्रय करने के लिए मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों को 60 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये है । पोलियो करेक्शन आपरेशन पर इस वर्ष सात करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है ।

100. वर्ष 2001 को राज्य में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया तथा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने प्रभावी पहल करते हुए दूरगामी नीतिगत निर्णय लिये । राज्य में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान एवं समग्र बाल विकास के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है । उपेक्षित एवं शोषित वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्प राज्य सरकार ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर शक्तिशाली बनाने और समानता के अवसर प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

101. राज्य के 257 विकास खण्डों में संचालित करीब 35 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा, स्वास्थ्य जांच आदि मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है । इस वर्ष अब तक 22 लाख 67 हजार बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा चुका है ।

102. ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत अब तक 36 हजार 407 समूहों का गठन किया जा चुका है ।

103. शोषित एवं पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने, आवश्यक सहायता एवं मार्ग दर्शन देने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय महिला सहायता समिति स्थापित है । समितियों को अब तक 3 हजार 486 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें से 3 हजार 49 प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है ।

104. मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने पर मृतक कर्मचारी की पत्नी/पति की देखभाल की जिम्मेदारी आश्रित के नाते नौकरी पाने वाले की निर्धारित की गई ।

105. राज्य सरकार प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कृत संकल्प है । साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है । पुलिस और जनता के मध्य बेहतर सहयोग और समन्वय के फलस्वरूप कतिपय घटनाओं को छोड़कर प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बना रहा । राज्य पुलिस की सतर्कता और सजगता के कारण आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई एवं मादक व विस्फोटक पदार्थों की तस्करी तथा बार्डर क्रोसिंग में कमी आई है । अवैध रूप से सीमा का उल्लंघन करने पर 12 पाक नागरिक, 51 बांगला देशी, 23 बर्मी एवं 33 भारतीय नागरकों को गिरफ्तार किया गया । इसके अलावा तस्करी की 30.000 किलोग्राम हेरोइन,

39. 400 किलो चरस सहित अफीम, विस्फोटक पदार्थ आदि सामान जब्त किया गया ।

106. 21वीं सदी की अपराध चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है । वर्ष 2000 से 2005 तक आधुनिकीकरण की योजना के तहत केन्द्र सरकार से 300.50 करोड़ रुपये मिलने की आशा है । केन्द्र सरकार ने इस वर्ष 4552.04 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की थी । राज्य सरकार ने 45 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है । इस राशि से पुलिस कन्ट्रोल रूम, यातायात पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्गों की पैट्रोलिंग हेतु 240 वाहन तथा दंगा विरोधी साजोसामान एवं उपकरण इत्यादि क्रय किये जा रहे हैं ।

107. अपराधों की रोकथाम एवं अभियोगों में सफलता प्राप्त करने के लिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्या समाधान शिविर शुरू किये गये हैं । राज्य के बड़े नगरों में शुरू की गई टोल फ्री टेलीफोन सेवा ''क्राइम पुलिस हैल्प लाइन'' के माध्यम से अपराधियों के बारे में प्राप्त गुप्त सूचनाओं पर त्वरित पुलिस कार्यवाही की जा रही है । पुलिस प्रशासन को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के क्रम में यातायात पुलिस जयपुर नगर की वेबसाइट शुरू की गई है । इससे यातायात सम्बन्धी सूचनाएं जन साधारण को निरन्तर मिलती रहेगी । राजस्थान पुलिस आन लाइन नामक वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया है । राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को सूचना का अधिकार दिये जाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है ।

108. भारतीय सैनिकों की तरह राज्य के पुलिस कर्मियों को भी गैलेण्टरी अवार्ड से सम्मानित किये जाने पर 15000/-रुपये नकद एवं 25 बीघा सिंचित भूमि अथवा 50 बीघा असिंचित भूमि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जावेगी ।

109. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2001 के दौरान भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने, रिश्वत प्राप्त करने एवं पद का दुरुपयोग करने के 439 अभियोग दर्ज किये इनमें 220 अभियोग राजपत्रित एवं 219 अभियोग अराजपत्रित कर्मचारियों से सम्बन्धित है । इस अवधि में 466 अभियोगों का निस्तारण किया गया, 191 प्राथमिक जांच दर्ज की गई तथा 141 प्राथमिक जांचों का निस्तारण किया गया । इसके अतिरिक्त 816 परिवाद पंजीबद्ध किये गये ।

110. अभियोजन विभाग ने वर्ष 2001 में माह नवम्बर तक राज्य में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त अपराध वर्गों में दर्ज प्रकरणों में से एक लाख 95 हजार 881 प्रकरणों का निस्तारण करवाया । इनमें 58 प्रतिशत

प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता के थे। निस्तारित मामलों में एक लाख 14 हजार मामलों में अभियुक्तों को सजा मिली।

111. इस अवधि में 3 लाख 48 हजार 39 गवाह साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए जिनमें से 95 प्रतिशत गवाहों का तारीख पेशी के दिन परीक्षण करवाया गया।

112. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2001-2002 में 1957 व्यक्तियों को बेसिक एवं सेवा प्रशिक्षण तथा 1530 व्यक्तियों को संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण दिया गया। सीमा पर तनाव के मद्देनजर सीमा गृह रक्षा दल की 24 कम्पनियों को सेना के साथ नियोजित किया गया।

113. नागरिक सुरक्षा अग्नि शमन सेवा द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में घटित 627 भंयकर अग्नि दुर्घटनाओं पर काबू पाकर 57.22 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को बचाया गया।

114. कारागार विभाग द्वारा बंदियों के विकास के लिए चलाये जा रहे उद्योगों में इस वर्ष अब तक 30 लाख से अधिक राशि का उत्पादन किया गया। बंदियों को शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

115. भारतीय संविधान के 73वें एवं 74 वें संशोधन की मूल भावनाओं के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिये किये गये प्रयासों में राजस्थान सबसे आगे है। इससे पंचायती राज संस्थाएं जहां एक ओर ग्रामीण स्तर पर प्रभावशाली स्वायतशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई है वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रही है।

116. राज्य सरकार ने विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को ग्राम पंचायत के सीधे नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया हैं। इस व्यवस्था को पहल कार्यक्रम के रूप में राजसमन्द जिले में लागू किया गया है।

117. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में आगामी शिक्षा सत्र एक जुलाई, 2002 से राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा एक से पांच तक में पढ़ने वाले बच्चों को तैयार भोजन वितरित किया जायेगा।

118. जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा जल ग्रहण योजनाओं के तहत क्षेत्रों का चयन कर वर्षा के जल का समुचित संरक्षण किया जाता है। इस वर्ष माह दिसम्बर, 2001 तक विभाग द्वारा 91 हजार 464 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया। राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति से एक ग्राम का चयन कर जलग्रहण विकास एवं अन्य

सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों के समन्वित क्रियान्वयन के आधार पर ग्राम को सर्वतोमुखी ग्रामीण विकास के आर्दश के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने गांधी ग्राम योजना प्रारम्भ की है । श्रमदान, परिवार कल्याण, बालिका शिक्षा, पर्यावरण विकास और उन्नत पशु पालन के पंच सूत्रों का अनुशीलन गांधी ग्रामों के चयन एवं विकास का आधार बनाया गया है । सभी 230 पंचायत समितियों में ग्रामों का चयन कर जल ग्रहण की योजनाएं स्वीकृत की गई है ।

119. राज्य कृषि उत्पाद के समुचित भण्डारण के लिए राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा वर्ष 2001-2002 में समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से 2.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया जो गत 24 वर्षों में सर्वाधिक है ।

120. राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को एक स्थान पर सारी सुविधाएं सुलभ कराने की दृष्टि से एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है । इसके लिए त्रिस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया है । इन समितियों की जनवरी, 2002 तक 257 बैठकें आयोजित कर 754 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें 4361.49 करोड़ रुपये का विनियोजन प्रस्तावित है ।

121. वर्ष 2001-2002 में माह दिसम्बर, 2001 तक 7 हजार 620 लघु एवं कुटीर उद्योगों का पंजीयन किया गया जिनमें 147.58 लाख रुपये के पूंजी विनियोजन के साथ 24 हजार 848 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ । वृहद् एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के लिए 39 उद्यमिता ज्ञापन प्राप्त हुए जिनमें 640 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन तथा 17 हजार 648 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा ।

122. प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में 16 हजार 600 युवाओं को लाभान्वित किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2001 तक 10 हजार 628 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया गया । राज्य में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से जनवरी, 2002 तक 28 प्रदर्शनियों का आयोजन कराया गया जिसके फलस्वरूप 38.69 करोड़ रुपये की बिक्री के क्रयादेश विभिन्न इकाइयों को प्राप्त हुए ।

123. विश्व व्यापी औद्योगिक मंदी के दौर के बावजूद राजस्थान वित्त निगम ने वर्ष 2001-2002 में आशातीत प्रगति प्राप्त की है । निगम ने दिसम्बर, 2001 तक 91.84 करोड़ रुपयें के ऋण स्वीकृत किये, साथ ही इन्टरेस्ट रिलीफ के तहत दिसम्बर, 2001 तक 339 मामलों में उद्यमियों को इस स्कीम में लाभ प्रदान करने हेतु पंजीकृत किया है ।

124. रीको ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवं राज्य सरकार के सहयोग से

वेन्चर कैपिटल फण्ड की स्थापना की है । रीको ने वर्ष 2001-2002 में माह दिसम्बर, 2001 तक सावधि ऋण वितरण 66.13 करोड़ एवं 951.80 एकड़ औद्योगिक भूमि का विकास किया है ।

125. खादी बोर्ड की योजनाओं में दिसम्बर, 2001 तक लगभग 16 हजार 319 व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराया गया । इस अवधि में रूड़ा द्वारा 3 हजार 60 दस्तकारों को लाभान्वित किया गया ।

126. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन तथा आधारभूत ढांचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित 20 से अधिक योजनाओं का प्रदेश में क्रियान्वयन किया जा रहा है । चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह तक इन योजनाओं में कुल 490.70 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं जिसके मुकाबले 490.95 करोड़ रुपये खर्च कर शत प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है ।

127. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत इस वर्ष झालावाड़, बारां एवं भीलवाड़ा जिले में क्रमशः 634.70 लाख, 1165 लाख एवं 386.55 लाख रुपये की विशेष योजना भारत सरकार से स्वीकृत कराई गई । परियोजना के तहत झालावाड़ एवं बारां जिले में मुख्यतः एनीकट निर्माण कार्य एवं भीलवाड़ा जिले में चरागाह विकास कार्य करवाये जायेंगे । इसके अलावा नागौर, डूंगरपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, बून्दी, कोटा, बीकानेर, टोंक भरतपुर एवं सीकर जिलों हेतु 101.51 करोड़ रुपये के लागत की 13 विशेष परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजी गई है ।

128. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गरीब परिवारों को समूह में लाभान्वित करने हेतु माह दिसम्बर, 2001 तक 16 हजार 271 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है । इन समूहों को लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है ।

129. ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत इस वर्ष दिसम्बर, 2001 तक 16 हजार 410 आवासों का निर्माण कराया गया है तथा 7 हजार 290 कच्चे एवं अर्द्ध निर्मित आवासों को क्रमोन्नत किया गया है ।

130. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2001 तक कुल 100.41 करोड़ रुपये खर्च कर आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 9 हजार कार्य पूर्ण करवाये गये ।

131. राज्य सरकार द्वारा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में गत वर्ष शिक्षा सहयोगी लगाने का कार्य बोर्ड को सौंपा था

जिसकी चयन प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूर्ण होने की सम्भावना है । बोर्ड में इस योजना के प्रचार प्रसार के कारण मदरसों की पंजीयन की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और अब तक लगभग 2000 मदरसें बोर्ड में पंजीकृत हो चुके हैं । इस योजना अन्तर्गत कुल 1119 मदरसों को सम्मिलित किया गया है ।

132. वर्ष 2002-2003 से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय विकास की महाराष्ट्र प्रणाली लागू की जा रही है। इस प्रणाली के लागू होने से राज्य आयोजना मद की आठ प्रतिशत राशि जनजाति विकास विभाग द्वारा खर्च की जायेगी ।

133. चालू वित्तीय वर्ष में जनजाति के 327 बालक-बालिकाओं को प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों के माध्यम से उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है । शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 9 आवासीय विद्यालय शीघ्र प्रारम्भ किये जायेंगे ।

134. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यकता के समय खाद्यान्न उधार पर दिये जाने के लिये एक नवीन योजना "खाद्यान्न बैंक योजना" की क्रियान्विति की जा रही है । पायलेट बेसिस पर प्रत्येक पंचायत समिति में एक खाद्यान्न बैंक 26 फरवरी, 2002 से प्रारम्भ किया जा चुका है । इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना 2001-2002 में राशि रुपये 20 लाख का प्रावधान किया गया है एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना में राशि रुपये एक करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

135. एक अप्रैल, 1999 के पश्चात् ऑपरेशन कारगिल एवं अन्य ऑपरेशनों में राज्य के अब तक 204 सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक शहीद हुए है । राज्य सरकार द्वारा जारी पैकेज के अनुसार 203 शहीदों की विधवाओं एवं आश्रितों को एक-एक लाख रुपये नकद, 127 परिजनों को भूमि की एवज में 4-4 लाख रुपये, 41 को भूमि आबंटन एवं कब्जा दे दिया गया है । इसके अलावा शहीदों के 160 माता-पिता के नाम 1.02 लाख रुपये की राशि प्रत्येक के नाम से डाकघरों में मासिक आय योजना के अन्तर्गत जमा करायी जा चुकी है ।

136. राज्य सरकार सहकारी सुविधाओं के विकास, विस्तार और सरलीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है । सहकारी आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए नवीन सहकारिता अधिनियम, 2001 राज्य विधान सभा में पारित किया जा चुका है । राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं के संचालन की जिम्मेदारी संचालक मण्डलों को सौंपना

चाहती है । नवीन सहकारिता अधिनियम लागू होते ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी ।

137. किसानों को आसानी से सहकारी कर्जे सुलभ कराने के लिये देश में पहली बार राजस्थान में शुरू की गई किसान सहकारी कार्ड योजना के तहत दिसम्बर, 2001 तक 15.82 लाख किसान कार्ड वितरित कर ऋण साख सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

138. वित्तीय वर्ष 2001-2002 में दिसम्बर, 2001 तक किसानों को 913 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किये गये । वर्ष 2002-2003 में किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को विपणन सहकारी समिति के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 1432.50 करोड़ रुपये के कृषि उपज, कृषि आदान एवं उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी ।

139. सम्वत् 2057 में राज्य के 31 जिलों के 30 हजार 583 ग्रामों की 3 करोड़ 30 लाख जनसंख्या एवं 4 करोड़ पशुधन अकाल से प्रभावित हुए ।

140. राज्य सरकार ने सीमित साधनों के बावजूद 16 लाख 99 हजार अकाल प्रभावित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाई । अकाल राहत कार्यों में जल संरक्षण, वानिकीकरण, भू-संरक्षण, ग्रामीण सड़क आदि कार्यों को प्राथमिकता दी गई ।

141. काम के बदले अनाज योजनाओं में भारत सरकार से प्राप्त गेंहू राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को आंशिक मजदूरी भुगतान के रूप में दिया गया जो देश के राज्यों में सर्वाधिक है ।

142. अभावग्रस्त जिलों में 2 हजार 79 चारा डिपो खोलकर 2 लाख 38 हजार 642 मै. टन चारा वितरित किया गया । जिलों में 727 पशु शिविरों एवं 435. गौशालाओं के माध्यम से 4 लाख 34 हजार 252 पशुओं को लाभान्वित किया गया । 3764 टेंकरों के माध्यम से 4 हजार 798 ग्रामों-ढांणियों में पेयजल पहुंचाया गया ।

143. राज्य में इस वर्ष 26 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर नगरीय समस्याओं का निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाई गयी । अभियान के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों से जुड़े कार्यों के माध्यम से 12 लाख लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया गया । इस अवधि में नगरीय विकास से जुड़ी संस्थाओं को 32 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक की आय हुई ।

144. राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त, 1998 तक राजकीय भूमि पर बसी हुई अनधिकृत कच्ची बस्तियों के नियमन के अंतर्गत अब तक 41 हजार से अधिक मकानों का नियमन किया जाकर पट्टे दिये जा चुके हैं । राज्य के समस्त शहरों एवं कस्बों के मास्टर प्लान बनाने

के कार्यक्रम के तहत अब तक 47 शहरों एवं कस्बों के मास्टर प्लान बनाकर लागू किये जा चुके हैं । शेष नगरों के मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रगति पर है ।

145. राज्य के 6 सम्भागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर के ढांचागत विकास के लिए एशियन डवलपमेंट बैंक से 1529 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति गत वर्ष प्राप्त हो गई थी । परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा जयपुर शहर के 6 कार्यों तथा जोधपुर के 6 कार्यों की निविदाएं प्राप्त कर ली गई है । शीघ्र ही कार्य आरम्भ करवाया जा रहा है ।

146. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए गोपालपुरा फ्लाई ओवर का निर्माण कराकर जनता को समर्पित किया गया है । सांगानेर फ्लाई ओवर का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा । जयपुर तथा राज्य के अन्य बड़े शहरों में सौन्दर्यीकरण का कार्य जन-सहभागिता से बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है ।

147. राज्य सरकार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का भरपूर लाभ प्रदान करते हुए श्रमिक कल्याण और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित है । इस वर्ष अब तक विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत दो हजार से अधिक दावों के निस्तारण से श्रमिकों को साढ़े सात करोड़ रुपये की राशि के अवार्ड निर्धारित हुए हैं ।

148. राज्य में बाल श्रम समस्या के समूल निराकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, टोंक, अलवर, उदयपुर एवं अजमेर जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं संचालित की जा रही है । परियोजना के तहत राज्य में स्वीकृत 180 विशेष बाल श्रमिक शिक्षण एवं पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से जोखिम पूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत 5-14 वर्ष की आयु सीमा के 9 हजार बाल श्रमिकों को शिक्षा, पूरक पोपाहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं मासिक स्टाइफण्ड की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है । राज्य में संचालित इस कार्यक्रम की सर्वत्र सराहना हुई है ।

149. अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पौने दो करोड़ रुपये के आर्थिक सहयोग से जयपुर के जोखिमपूर्ण व्यवसायों से जुड़े सात हजार 200 श्रमिकों को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पोपाहार की सुविधा से लाभान्वित किया जा रहा है । योजना के अन्तर्गत 343 माताओं के 21 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ।

150. राज्य में जोखिमपूर्ण व्यवसायों से जुड़े बाल श्रमिकों का पुनः चिह्नीकरण जारी है तथा चिह्नित श्रमिकों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ा जायेगा ।

151. राज्य सरकार जनसाधारण को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय देने के लिए संकल्पित है ।

152. विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा इस वर्ष राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के 12 पदों पर नियुक्तियां की गई । विभाग द्वारा जनता को राहत देने के लिए 22 पब्लिक नोटेरी नियुक्त किये गये ।

153. राज्य में विपम जैविक दबाव वाली परिस्थितियों के बावजूद हाल ही हुए रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 518 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी दर्ज की गई है ।

154. स्थानीय लोगों को वनों की सुरक्षा से जोड़ने के लिए ''साझा वन प्रबन्धन कार्यक्रम'' के तहत राज्य भर में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के गठन को व्यापक गति दी जा रही है । प्रदेश में अब तक तीन हजार से अधिक समितियों का गठन किया जा चुका है ।

155. इस वर्ष माह जनवरी, 2002 तक 31 हजार 491 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षापोरण एवं 172. 68 लाख पौध वितरण की उपलब्धि अर्जित की गई है ।

156. पशुपालन व्यवसाय लघु और सीमान्त किसानों, ग्रामीण महिलाओं भूमिहीन कृषि श्रमिकों और गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को ठोस आधार प्रदान करता है ।

157. इस वर्ष अब तक एक करोड़ 25 लाख से अधिक पशुओं का बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण, उपचार, बंध्याकरण एवं कृत्रिम गर्भादान किया गया । राज्य में टीका उत्पादन प्रयोगशाला में 77 लाख 56 हजार टीकों का उत्पादन किया गया । इसके अलावा भेड़ विकास कार्यक्रम के तहत 28 लाख रुपये स्वीकृत किये गये ।

158. राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर चालाया जा रहा है । अप्रैल, 2001 से राज्य सरकार द्वारा पुन: डेयरी फेडरेशन का प्रबन्धन सम्भालने के बाद सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां दर्ज की गई है । इस वर्ष डेयरी फेडरेशन ने पहली बार एक दिन में अधिकतम 15 लाख किलो दूध संकलन कर कीर्तिमान स्थापित किया है । इस समय प्रदेश में 4.5 लाख दुग्ध उत्पादक सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित हों रहे हैं । डेयरी क्षेत्र में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा के देखते हुए दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर एवं अलवर के डेयरी संयंत्रों को अन्तरराष्ट्रीय गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार आई.एस.ओ. एवं हैसप से पंजीकृत कराया जा चुका है । अजमेर एवं उदयपुर को भी शीघ्र

आई.एस.ओ. का प्रमाण-पत्र मिलने की सम्भावना है ।

159. राज्य सरकार ने राज्य में नई ग्रेनाइट एवं मार्बल नीतियां स्वीकृत कर इन पर आधारित विकास का मार्ग प्रशस्त किया है । नई मार्बल नीति में खनन पट्टे का क्षेत्र 2.25 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़ाकर 4.00 हैक्टेयर क्षेत्र तथा ग्रेनाइट नीति में 2.25 हैक्टेयर क्षेत्र से 3.00 हैक्टेयर क्षेत्र किया गया है । इससे खनन पट्टों में अधिक गहराई तक खनन कार्य किया जाकर खनिज का उत्पादन किया जा सकेगा । नई नीतियों में इन खनिजों के लिए निजी व्यक्तियों को भी अपने स्तर पर पता लगाने व प्राथमिकता के आधार पर खनन पट्टा प्राप्त करने का प्रावधान रखा गया है जिससे निजी व्यक्तियों के माध्यम से नये खनन क्षेत्र प्रभाव में आ सकेंगे । नई नीति में खनन पट्टों के क्षेत्र की अधिकतम सीमा खनिज मार्बल के लिए 28 हैक्टेयर एवं ग्रेनाइट के लिए 50 हैक्टेयर की गई है । इससे बड़ी कम्पनियां इस क्षेत्र में आ सकेगी साथ ही आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अधिक असवर उपलब्ध हो सकेंगे । नई नीति में अनुसूचित जाति,जनजाति के व्यक्तियों के अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग, बेरोजगार स्नातक, खिलाड़ी आदि के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है ।

160. तेल के दोहन हेतु गुढ़ामलानी एवं कोसलू क्षेत्र में 2000 बैरल प्रतिदिन से अधिक उच्चकोटि का तेल मिला है । कैर्न एनर्जी की इस क्षेत्र में 8 और कुएं खोदने की कार्य योजना है जिस पर करीब 150 करोड़ रुपये के अधिक व्यय किया जायेगी । साथ ही एस्सार आयल लिमिटेड ने नानूवाला (गंगानगर) में एक कुआं खोदकर उच्चकोटि के तेल का पता लगाया है । बींझबायला (पदमपुर) के पास वर्ष 2002 में कुआं खोदने का भी कार्यक्रम है जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इसके साथ ही नानूवाला के पास ही तीसरा कुआं खोदने का भी कार्यक्रम है । सफलता मिलने पर इस क्षेत्र में 15 से 20 कुएं और खोदे जाएंगे जिस पर लगभग 140 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे ।

161. राज्य सरकार द्वारा पैट्रोलियम, लिग्नाइट एवं सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित करने हेतु एवं खनिजों के दोहन हेतु भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को एवं अधिकृत निजी क्षेत्र की कम्पनियों को नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराई जा रही है ।

162. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विभिन्न विभागों के 498 अधिकारियों व कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया है ।

163. सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन की दिशा में राज्य में इसं क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि को भूमि कर, भवन कर सोफ्टवेयर, हार्डवेयर कर व अन्य कई करों में छूट प्रदान की गई है ।

164. राज्य में ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में सभी 32 जिलों को हाटलाइन से जोड़ दिया है । सरकार को पारदर्शी व संवेदनशील बनाने के लिए राज्य सरकार की वेब पोर्टल सूचना राजस्थान, गावरमेन्ट, इन को तैयार कर सरकारी विभागों की आवश्यक सूचनाएं व 27 विभागों के नागरिक अधिकार पत्र डाले गये है ।

165. एन.आई.सी.द्वारा राज्य के सभी जिलों में भू-अभिलेखों के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ कर इनमें से 11 जिलों में कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी जारी कर दी गई है ।

166. योजना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य की दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 तथा वार्षिक योजना 2002-03 के प्रारूप को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है । दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में सामाजिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन स्व-पोषित विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

167. अन्तरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुरूप राजस्थान फाउण्डेशन का गठन 30 मार्च, 2001 को किया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राजस्थान फाउण्डेशन की शासी परिषद् में देश एवं विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है । फाउण्डेशन के संचालन के लिये दो करोड़ रुपये की राशि कारपस फण्ड के रूप में निजी निक्षेफ खाते में जमा कराई गई है । फाउण्डेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये देश-विदेश में चैप्टर गठित किये जा रहे हैं । कौयम्बटूर एवं चैन्नई में चैप्टर खोले जाकर उनके अध्यक्षों को नामांकित किया जा चुका है ।

168. राज्य सरकार नागरिकों को परिवहन विभाग से संबंधित सुविधाएं पारदर्शिता के साथ तेजी से सुलभ कराने के दिशा में सतत् प्रयत्नशील है ।

169. राज्य में परिवहन विभाग ने मुख्यालय सहित सभी प्रादेशिक और जिला स्तर पर स्वयं के भवन एवं ड्राइविंग ट्रेक निर्माण की एक वृहद् योजना शुरू की है । योजना के तहत मुख्यालय सहित 11 प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालय भवन एवं एक ट्रेक का कार्य पूरा किया जा चुका है । परिवहन विभाग के-कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित कम्प्यूटराइजेशन की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है । योजना के पूरा होने पर सभी प्रादेशिक एवं जिला कार्यालयों कम्प्यूटर सुविधा से जुड़ जायेंगे ।

170. राजस्थान राज्य परिवहन निगम चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अपने बेड़े में 600 नई बसें शामिल कर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा 25 प्रतिशत हानि कम करने का लक्ष्य है। संशोधित बजट अनुमान के अनुसार यात्री सुविधाओं पर इस वर्ष 91 लाख रुपये एवं वर्ष 2002-2003 में 140 लाख रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

171. देवस्थान विभाग द्वारा विभागीय मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के अति वांछित कार्य को निष्पादित करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, एवं गुजरात राज्यों में स्थित विभाग की सम्पदाओं का भी पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है जिनके 31 मार्च, 2002 तक पूर्ण होने की आशा है।

172. जीर्णोद्धार की योजना ते तहत विभाग ने आगामी वर्ष के लिए एक सौ आठ मंदिर सम्पदाओं का चयन किया है जिनका कार्य प्राथमिकता से करवाया जायेगा।

173. राज्य में जन साधारण एवं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक वातारण निर्माण करने उनमें वैज्ञानिक अभिरूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से जयपुर में एक विज्ञान उद्यान स्थापित किया गया है। कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर शहर में विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने हेतु विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। राज्य में विद्यालय स्तर पर 225 विज्ञान क्लबों की स्थापना की गई है। राज्य में बायोटेक्नोलोजी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक नीति तैयार की जा रही है।

174. राज्य के उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन के परिप्रेक्ष्य में करंज वृक्षों से प्राप्त अखाद्य तेल को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग लेने की प्रविधि को ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तान्तरित किये जाने का कार्य किया जा रहा है जिससे आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जा सके।

175. राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। चालू वित्तीय वर्ष में माउन्ट आबू में केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजन के अलावा ग्रामीण और जनजाति क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए रावतभाटा, जयपुर, बांसवाड़ा एवं बानसी (चित्तौड़गढ़) में केन्द्रीय ग्रामीण खेलकूद प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न खेलों में गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार के 150 शिविर जिला एवं पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों, ग्रामों एवं ढाणियों में भी आयोजित कर हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लाभ पहुंचाया गया।

176. राज्य के खिलाड़ियों ने इस वर्ष विभिन्न खेलों में 22 स्वर्ण, 21 रजत एवं 17 कांस्य पदक जीत कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है । इनमें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित तीन स्वर्ण, आठ रजत एवं सात कांस्य पदक शामिल है ।

177. विभिन्न विभागों में लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही के लिए सिंगल फाइल सिस्टम लागू करने के सम्बन्ध में निर्देश 18 दिसम्बर, 2001 को जारी किये गये हैं ।

178. शासन सचिवालय में दिनांक 10 जनवरी, 2002 से 25 जनवरी, 2002 तक एक ''काम निपटाओं'' अभियान चलाया गया, जिसमें शासन सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा 6287 प्रकरणों/विचाराधीन पत्रों का निस्तारण किया गया ।

179. माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचाारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे :-

1. राजस्थान सड़क विकास विधेयक, 2002
2. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2002
3. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2002
4. जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002
5. राजस्थान आयुर्वेद विश्व-विद्यालय जोधपुर विधेयक, 2002

180. इसके अतिरिक्त निम्न वित्तीय कार्य भी किये जायेंगे :-

1. वर्ष 2001-2002 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन)
2. वर्ष 2002-2003 के लिये आय-व्ययक अनुमान एवं तत्संबंधी मांगें तथा वर्ष 2002-2003 के लिए लेखानुदान ।
3. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2000-2001
4. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2000-2001
5. द्वितीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन ।

180. जन-आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के सर्वांगीण विकास में समर्पित भाव से जुट जाने का लक्ष्य लेकर सभी माननीय सदस्य इस सदन में एकत्रित हुए हैं इस लक्ष्य पर सभी एकमत हैं । इसलिए इस सरकार का यही प्रयास होगा कि पक्ष-प्रतिपक्ष, सभी ओर के सदस्यों का जन-हित में रचनात्मक सहयोग लिया जाए जिससे इस देश की इस चिरन्तन कामना को हम क्रियान्वित कर सकें :

सर्वे भवन्तुः सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत ॥

(सब सुखी रहें, निरोग रहें, अच्छे से अच्छे दिन देखें, दु:ख के दिन न देखें)

आप सबके विचार और प्रयास इस भावना को चरितार्थ करने में सफल हों, यही मेरी कामना है ।

जयहिन्द ।

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम 297 एवं 300 के अन्तर्गत राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित तथा राजकीय मुद्रणालय में मुद्रित